8.2.22	प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली कायम की गई। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र U/s 151 CPC का सार यह निवेदन किया है कि दि 9.10.21 को आयोजित प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 मुकाम जमाबन्दी के खसरा नम्बर 337 की आराजी के सम्बन्ध में जो दुरस्ती आदेश पारित आदेश 13/10/21 [illegible] के अनुसार पारित कर दिया है जिसकी पालना [illegible] [illegible] हो चुकी है किन्तु [illegible] [illegible] आदेश पारित होने से छूट गया है जिसके सम्बन्ध में भी न्यायालय से दुरस्ती आदेश पारित किया जाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:31:47 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील मे जारी हुए
	अमल दरामद करें। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम [illegible] तहसील [illegible] की खतौनी सं. 336 के ख. नं. 94 रकबा 1.05 है. में भी वर्तमान काश्तकार प्रविष्टि 'कुन्जबिहारी पुत्र कन्हैयालाल' के स्थान पर 'बिहारीलाल पुत्र किशनलाल' किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:31:47 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 8 / 2021 तारीख दायरा:– 19.01.2021

उनवान

बिहारीलाल पुत्र श्री किशनलाल गोदपुत्र कालूलाल जाति माली निवासी ग्राम बपावरकलां तहसील सांगोद जिला कोटा।

–वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा।

– प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :–

श्री नरेश कुमार गौतम (वकील वादीगण) दिनांक :– 12.03.2022

श्री सरकार पैरोकार

–– निर्णय ––

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि वादी के संयुक्त खाते एवं कब्जेकाश्त की खसरा नंबर 93 रकबा 0.92 हैक्टर, खसरा नंबर 94 रकबा 1.05 हैक्टर आराजी वाके ग्राम बपावरकलां तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित ... आराजी में निहित वादी का हिस्सा वादी द्वारा पूर्व ... श्रीमती ...जाबाई पत्नी रामनाथ,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:31:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

सन्तोषबाई पत्नी घनश्याम जाति माली निवासी ग्राम बपावरालां तहसील सांगोद से जरिये रजिस्टर्ड बैनामा क्रमांक 2009001384 दिनांक 26.04.2010 से क्रय कर प्राप्त किया था जिसकी अनुपालना में इन्तकाल संख्या 449 दिनांक 05.06.2010 से प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज हुआ किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा दौराने इन्तकाल कार्यवाही वादी के वास्तविक नाम ''बिहारीलाल'' के बजाय सहवन से वादी का गलत नाम ''कुंजबिहारी'' अंकित कर दिया जिसके कारण वादी को कृषि विकास कार्य करवाने एवं सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पडता है जबकि आधारकार्ड, जन–आधार कार्ड इत्यादि राजकीय दस्तावेजों में वादी का सही नाम ''बिहारीलाल'' ही अंकित है। वादी के प्राकृतिक पिता का नाम किशनलाल था तथा प्रार्थी के गोदपिता का नाम कालूलाल था। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के गोद पिता कालूलाल का नाम बतौर पिता अंकित है जबकि प्रार्थी के राशनकार्ड, बैंक खाता एवं मार्क्स शीट इत्यादि में प्रार्थी के प्राकृतिक पिता किशनलाल का नाम बतौर पिता अंकित है। इस प्रकार प्रार्थी के पिता के नाम भी भिन्न–भिन्न अंकित होने के कारण प्रार्थी को कृषि विकास कार्य करवाने में परेशानी आती है। राजस्व रिकार्ड में अंकित वादी के नाम एवं अन्य सरकारी दस्तावेजों में अंकित वादी के नाम में भिन्नता होने के कारण वादी को राज्य सरकार से मुआवजा राशि प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड रहा है। वादी ने दिनांक 24.09.2020 को तहसीलदार सांगोद के यहां लिखित आवेदन प्रस्तुत करके प्रार्थी का नाम दुरूस्त करने के लिए निवेदन किया था जिस पर पटवारी हल्का द्वारा जांच रिपोर्ट दिनांक 03.10.2020 को अंकित करने के उपरान्त तहसीलदार साहब द्वारा दिनांक 20.11.2020 को माननीय न्यायालय में कार्यवाही करके नाम दुरूस्त करवाने के आदेश पारित किये। ऐसी परिस्थितियों में यह वाद बाबत इन्द्राज दुरूस्त माननीय न्यायालय में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:31:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। राजस्व रिकार्ड की उक्त त्रुटि को न्यायहित में दुरूस्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। यदि राजस्व रिकार्ड में उक्त दुरूस्ती नहीं की गई तो वादी को ऐसी अपरिमित क्षति होगी जिसकी भविष्य में कभी पूर्ति नहीं हो सकेगी। राज्य सरकार को भूमिधारी होने से जर्ये तहसीलदार सांगोद प्रतिवादी की हैसियत से पक्षकार बनाया गया है। वादकारण दिनांक 20.11.2020 को तहसीलदार साहब द्वारा वादी का नाम दुरूस्त न करके, माननीय न्यायालय में इन्द्राज दुरूस्ती की कार्यवाही करने के आदेश देने पर उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी माल ग्राम बपावरालां तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित होने से माननीय न्यायालय को उक्त वादपत्र का श्रवण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अतः माल ग्राम बपावरालां तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 93 रकबा 0.92 हैक्टर, खसरा नंबर 94 रकबा 1.05 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में अंकित ''कुंजबिहारी पुत्र कालूलाल'' के स्थान पर वादी का वास्तविक नाम ''बिहारीलाल पुत्र किशनलाल गोदपुत्र कालूलाल'' अंकित करने के आदेश पारित फरमाये जावें तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल करवाया जावे।

उक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत होने पर वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तलबी वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. इस आशय का प्रस्तुत किया कि माल ग्राम बपावरकलां तहसील सांगोद के खतौनी संख्या 336 के खसरा नंबर 94 रकबा 1.05 हैक्टर व खतौनी संख्या 337 के खसरा नंबर 93 रकबा 0.92 हैक्टर आराजी के राजस्व रिकार्ड में ''कुंजबिहारी पुत्र कालूलाल'' के स्थान पर ''बिहारी किशनलाल गोदपुत्र कालूलाल'' अंकित करने का अनुतोष चाहा गया है कि दिनांक 09.10.2021 को आयोजित 'प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 मुकाम बपावरकलां में खतौनी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:31:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

337 की आराजी के संबंध में तो दुरूस्ती आदेश पारित धारा 136 एल.आर.एक्ट के अधीन पारित कर दिया है जिसकी पालना भी राजस्व रिकार्ड में हो चुकी है किन्तु खतौनी संख्या 336 की आराजी के संबंध में आदेश पारित होने से छूट गया है जिसके संबंध में भी न्यायहित में दुरूस्ती आदेश पारित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अतः उक्त वाद की पत्रावली में खतौनी संख्या 336 के खसरा नंबर 94 रकबा 1.05 हैक्टर वाके ग्राम बपावरकलां के संबंध में प्रार्थी के नाम दुरूस्ती का आदेश फरमाया जावे। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। हम वकील प्रार्थी की बहस से सहमत हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड, दस्तावेजों के आधार पर वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार करना उचित समझती हूं।

अतः दावा वादी स्वीकार कर माल ग्राम बपावरालां तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 94 रकबा 1.05 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में अंकित वादी के नाम ''कुंजबिहारीलाल पुत्र कालूलाल'' के स्थान पर वादी का वास्तविक नाम ''बिहारीलाल पुत्र किशनलाल'' अंकित करने के आदेश पारित किये जाते हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल करवाया जावे। तदनुसार अन्तिम डिक्री मुर्तिब की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:31:47 IST
Reason: SelfAttested

(अजमा सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद